दिनांक 13.01.202 **स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**

अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने भिलाई में चलाया गया बड़ा अभियान, भिलाई सहित अन्य निगम की तोड़फोड़ दस्ते की टीम भी हुई कार्यवाही में शामिल

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध होर्डिंग, पोस्टर व अतिक्रमण को हटाने आज दिनभर कार्यवाही की गई। भिलाई सहित अन्य तीन निगम से आए तोड़फोड़ की टीम ने 31 सार्वजनिक स्थानों से छोटे एवं बड़े बोर्ड होर्डिंग्स व अतिक्रमण को हटाया। भिलाई निगम क्षेत्र को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लिए निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही के दौरान दुकान के बाहर स्टेण्ड लगाकर भारी मात्रा में टायर रखकर सड़क बाधा करने वाले से जुर्माना वसूलते हुए सभी टायर को भी जप्त किया गया। गौरतलब है कि आयुक्त रोहित व्यास के सख्त निर्देश के बाद सड़क किनारे अवैध रूप से लगे पोस्टर एवं होर्डिंग को हटाने निर्देश दिए गए थे ताकि वाहनों के आवागमन में कोई परेशानी न हो वहीं निगम आयुक्त ने भिलाई निगम क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए बिना कोई परमिशन के सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए बैनर, पोस्टर को हटाने के निर्देश दिए थे जिसके परिपालन में संयुक्त टीम बनाकर 2 जेसीबी, 2 डम्फर लेकर कार्यवाही की गई। जोन 04 के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने बताया कि निगम क्षेत्र में लगे हुए अवैध होर्डिंग्स तथा कई स्थानों पर दुकानदारों के द्वारा अतिरिक्त रूप से शेड बढ़ाकर दुकान संचालित करने पर उन्हें अपने दायरे में ही दुकान संचालित करने हिदायत दी गई थी, बावजूद नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की गई। विशेष अभियान की शुरूआत जीई रोड नेशनल हाईवे पर डबरापारा चौक से खुर्सीपार गेट तक 31 स्थानों से अवैध बैनर, पोस्टर हटाया गया तथा डबरापारा चौक में अवैध रूप से लगाए गए बड़े साइज के होर्डिंग्स बोर्ड गिराकर हटाते हुए सामग्री को जप्त किए, चौक के समीप आजाद टायर संचालक द्वारा लोहे के स्टेण्ड में 29 नग टायर रखा हुआ था जिससे खुर्सीपार मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को परेशानी हो रही थी, दुकान के कई फीट आगे रखे हुए सभी टायर को स्टेण्ड सहित जप्ती कर अर्थदण्ड वसूला गया। आवागमन में सुविधा बनाने तथा शहर सौंदर्यीकरण के लिए अवैध होर्डिंग आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्यवाही में भिलाई निगम से जोन 04 से महेश पाण्डेय, जोन 02 एआरओ जगदीश तिवारी, अनिल मिश्रा, अंजनी सिंह, हरिओम गुप्ता के साथ रिसाली, दुर्ग, भिलाई -3 एवं कुम्हारी परिषद के तोड़फोड़ दस्ते की टीम भी साथ रही और सभी की संयुक्त टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया इस दौरान विभिन्न स्थानो से 15700 रुपए का अर्थदण्ड भी वसूला गया।